"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2002—कार्तिक 8, शक 1924

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 6035/18/2002.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेन्ट्रल प्रॉविन्स एण्ड बरार की अधिसूचना क्रमांक 1129-734-एस-टी दिनांक 26 जून, 1948 द्वारा गठित नगर पालिका परिषद्, रायगढ़ के क्षेत्र में, इसके वृहत्तर नगरीय स्वरूप धारण करने के कारण एतद्द्वारा नगरपालिक निगम रायगढ़ का गठन करता है.

नगर निगम रायगढ़ की सीमाएं निम्नानुसार होगी :—

1. उत्तर— ग्राम कलमी खसरा क्रमांक 633 त्रिसंगम बिन्दु खसरा क्रमांक 618 ग्राम भगवानपुर की खसरा नंबर 535 ग्राम कलमी के त्रिसंगम बिन्दु खसरा क्रमांक 304/1 के ग्राम खसरा क्रमांक 194 कृष्णापुर से त्रिसंगम बिन्दु खसरा क्रमांक 187/1 से उर्दना घाटी सुरक्षित वन उर्दना घाटी के पास त्रिसंगम बिन्दु खसरा क्रमांक 1 से ग्राम रामपुर से त्रिसंगम बिन्दु खसरा क्रमांक 311 ग्राम गोवर्धनपुर केलो नदी सीमा तक.

2. पूर्व— केलो नदी सीमा से ग्राम गोवर्धनपुर खसरा क्रमांक 311 से बोईरदादर से मालीपारा के नदी जाने के रास्ते से सीमा रेखा तक आगे हमीरपुर रोड के खसरा नं. 300 बेलादुला से आगे ग्राम विजेपुर के खसरा नं. 8 से क्रमांक 388/1 ग्राम गोपालपुर खसरा क्रमांक 134 पंडरीपानी खसरा क्रमांक 9 कौहाकुण्डा खसरा क्रमांक 18 बड़े अतरमुड़ा खसरा क्रमांक 103 तक

3. दक्षिण— ग्राम बड़े अतरमुड़ा खसरा क्रमांक 103 से छोटे अतरमुड़ा सीमा लाईन केलो नदी खसरा क्रमांक 46 ग्राम गढ़उमरिया तक से बिलाईजोर नाला छातामुड़ा से सराईभदरा फुटपाथ रोड एवं बिलाईजोर खसरा नंबर 275 के संगम से रेंगापाली रोड एवं किसान राइस मिल के पीछे फुटपाथ मार्ग के संगम से सराईभदरा फुटपाथ मार्ग होते हुए बिलाईजोर नाला तक त्रिसंगत बिन्दु खसरा क्रमांक 462/2 ग्राम अमलीभौना से राजीव गांधी नगर फुटपाथ मार्ग होते हुए नवापारा फुटपाथ मार्ग एवं राजीवगांधी फुटपाथ मार्ग के संगम तक.

4. पश्चिम— अमलीभौना त्रिसंगम बिन्दु खसरा क्रमांक 462/2 अमली भौना से होते हुए घोघरानाला खसरा क्रमांक 516 अमलीभौना एवं सीमा रेखा मिट्ठूमुड़ा से होते हुए खसरा क्रमांक 254 ग्राम कलारमुड़ा होते हुए खसरा क्रमांक 633, ग्राम कलमी से आगे त्रिसंगम बिन्दु खसरा क्रमांक 618, ग्राम भगवानपुर तक.

Raipur, the 30th October 2002

NOTIFICATION

No.6035/18/2002.—In exercise of the powers conferred under Section 7 of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby constitutes Municipal Corporation in place of Municipal Council, Raigarh, constituted vide Notification No. 1129-734-S-T 26th June, 1948 of Central Provinces & Brar, as it has transformed into a larger urban area.

The Boundaries of Raigarh, Municipal Corporation shall be as follows :—

1. North— From three way cross roads Kh. No.633 of village Kalmi to Kh. No.535 of village Bhagwanpur, from cross roads of village Kalmi Kh. No. 304/1 to Khasra No. 194, from triangular cross roads of village Krishnapur to Kh. No. 187/1 upto reserve forest of Urdana wharf and triangular cross roads of Urdana wharf, Kh, No. 1 of village Rampur to Kh. No. 311 of village Govardhanpur triangular cross roads and upto Kelo river bank.

2. East— From Kelo river to Kh. No. 311 of village Govardhan, from Boraidadar to maalipara road end and towards Hamirpur road upto Kh. No. 300, from Beladula to Kh. No. 8 of village Vijepur to Kh. No. 388/1, from Kh. No. 134 of village Gopalpur to Kh. No. 9 of Pandripani, and Kh. No. 18 of Kauhakunda upto Kh. No. 103 of Bade Atarmuda.

3. South— From Kh. No. 103 of village Bade Atarmuda and Kelo river bank to Kh.No. 46 of village Gadh-umaria and upto Bilaijor nallah, from Chhattamuda to footpath of Saraibhadra and Kh. No. 275 of village Bilaijor to Rengapali road and to upto footpath behind Kisan Rice Mill, from footpath of Saraibhadra to Bilaijor nalla, triangular cross road in Kh. No. 462/2 of village Amlibhouna and footpath of Rajiv Gandhi Nagar towards footpath of navapara and upto cross road end.

4. West— Traingular cross roads in Kh. No. 462/2 of Amlibhouna towards Ghogra nallah and Kh. No. 516 and the boundaries of Amlibhouna, from Mithumuda to Kh. No. 254 of village Kalarmuda and to Kh. No. 633, from triangular cross road and Kh. No 618 of village Kalmi and upto village Bhagwanpur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढॉंड, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.